कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, शॉप नम्बर-12, प्रथम तल, इन्दिरा बाल विहार, गोलघर, गोरखपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**05 / 12**
प्रार्थी की ओर से	**श्री दिव्येन्द्र, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-05 / 12, दिनांक 02.02.12 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

1. रिचार्ज वाउचर पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की देयता है अथवा नहीं ?

2. रिचार्ज वाउचर पर यदि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की देयता है तो कर की दर क्या है ?

2. फर्म की ओर से श्री दिव्येन्द्र, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उन्होंने अवगत कराया कि रिचार्ज वाउचर वस्तु नहीं अपितु सेवा है तथा उक्त पर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा उनसे सेवा कर भी वसूल किया जाता है। रिचार्ज वाउचर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी को उसकी सेवाओं से जुड़े रहने हेतु किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में मात्र Acknowledgement होता है क्योंकि रिचार्ज वाउचर खरीदने के पश्चात् उसमें अंकित 16 अंकों के गुप्त कोड को मोबाइल फोन से डायल करने के पश्चात् मोबाइल फोन धारक मोबाइल कम्पनी की सेवा से जुड़ जाता है तथा एक बार रिचार्ज वाउचर में अंकित कोड को प्रयुक्त करने के उपरान्त रिचार्ज वाउचर निष्प्रयोज्य हो जाता है, अर्थात् संचार सेवा प्रदान करने वाली कम्पनी अपने छोटे उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु रिचार्ज वाउचर के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता को अपनी सेवा में बनाये रखती है। अवगत कराया कि रिचार्ज वाउचर गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2010 द्वारा सर्वश्री भारती एयरटेल लि0 एन्ड अदर बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, साल्ट लेक चार्ज एन्ड अदर्स (2010) NTN (Vol. 44)-258 के वाद में यह निर्णय लिया गया है कि रिचार्ज कूपन बाउचर actionable claims के अन्तर्गत आते हैं अत: यह गुड्स नहीं हैं। स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश बनाम भारत संचार निगम लि0 (2012) 49 वी0 एस0 टी0-98 (ए0 पी0) के वाद में दिनांक 08.09.2011 को माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश द्वारा रिचार्ज कूपन को telecommunication services के अन्तर्गत माना गया है तथा इन्हें गुड्स नहीं माना गया है। अवगत कराया कि उनके विचार से रिचार्ज वाउचर वस्तु न होकर सेवा है अत: इस पर कोई करदेयता नहीं बनती है।

3. डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-4, गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक-90, दिनांक 16.04.12 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार प्री-पेड भुगतान हेतु संचार कम्पनियों द्वारा रिचार्ज वाउचर जारी किये जाते हैं जिनको खरीदने के बाद ग्राहक किसी प्री-पेड कनेक्शन से रिचार्ज कर सकता है तथा रिचार्ज वाउचर में अंकित कोड डायल करने पर सिम रिचार्ज हो जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि रिचार्ज वाउचर स्वयं में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ड) की परिभाषा के अनुसार वस्तु है

जिसकी बिक्री करना स्वयं व्यापारी ने स्वीकार किया है। यह सही है कि रिचार्ज वाउचर से सेवाएं प्राप्त होती हैं परन्तु ये स्वयं में वस्तु है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 एवं सर्विस टैक्स में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि यदि किसी वस्तु से सेवा प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ उसकी बिक्री की जाती है तो केवल एक ही कर लगाया जायगा। अतः रिचार्ज वाउचर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची में वर्गीकत नहीं है अतः इन पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर आरोपित किया जाना चाहिए।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली, अभिलेखों एवं माननीय न्यायालयों के फैसलों का अवलोकन किया गया पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश द्वारा स्टेट ऑफ आन्ध प्रदेश बनाम भारत संचार निगम लि0 (2012) 49 वी0 एस0 टी0-98 (ए0 पी0) के वाद में रिचार्ज कूपन को गुड्स नहीं माना गया है। उक्त वाद में रिचार्ज कूपन को telecommunication services का भाग माना गया है तथा दूर संचार सेंवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले रिचार्ज कूपन अपने आप में कोई वस्तु नहीं है जिसकी खरीद-बिक्री की जा सके तथा संचार कम्पनी व उपभोक्ता के बीच जो समझौता होता है उसका उद्देश्य संचार कम्पनियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की अवधि का बढ़ाना या टॉक टाइम बढ़ाना होता है। पश्चिम बंगाल की टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा सर्वश्री भारती एयरटेल लि0 एन्ड अदर बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, साल्ट लेक चार्ज एन्ड अदर्स (2010) NTN (Vol. 44)-258 के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि रिचार्ज वाउचर द्वारा दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी रिचार्ज वाउचर के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता को अपनी सेवा में बनाये रखता है तथा इस रिचार्ज वाउचर से प्राप्त धनराशि को किसी अन्य दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी को हस्तान्तरित भी नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि रिचार्ज वाउचर से प्राप्त धन को दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी किसी अन्य मद में हस्तान्तरित भी नहीं कर सकता है और चूँकि ऐसे रिचार्ज वाउचर actionable claims के अन्तर्गत आते हैं अतः यह करयोग्य नहीं हैं। माननीय न्यायालयों द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से उचित प्रतीत होता है कि दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अपने उपभेक्ताओं को उपलब्ध कराये गये रिचार्ज वाउचर अपने आप में " गुड्स " की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि ऐसे रिचार्ज वाउचर का प्रयोग केवल दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी की सेवाओं का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त करना मात्र है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (m) के अन्तर्गत " गुड्स " को परिभाषित करते हुए actionable claims को " गुड्स " की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा निर्गत निर्णयों एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (एम) के अन्तर्गत वर्णित " गुड्स " की परिभाषा को देखने से स्पष्ट है कि दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अपने उपभेक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने वाला रिचार्ज वाउचर " गुड्स " की श्रेणी में नहीं आता है। अतः केवल दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अपने उपभेक्ताओं को बेचे जाने वाले **रिचार्ज वाउचर** की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कोई करदेयता नहीं बनती है।

------3

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक मई, 2012

ह0 / 15.05.2012

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।